eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

ग्राम स्वराज अभियान और महिला सशक्तिकारण

विवेक सिंह[1] एवं डॉ विवेक यादव[2]
[1]शोध छात्र राजनीति विज्ञान, जे. एस. यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद फिरोजाबाद (यू.पी.)
[2]शोध पर्यवेक्षक – राजनीति विज्ञान विभाग, जे. एस. यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद फिरोजाबाद (यू.पी.)

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

भारतीय लोकतंत्र का प्रथम पायदान है 'पंचायती राज संस्थाएं'। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य लोकतंत्र को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। साथ ही शासन तथा प्रशासन की सेवाओं एवं सुविधाओं को पंचायतों के माध्यम से सभी आम जन तक पहुंचाना है। भारतीय ग्रामीण समाज के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए जरूरी है, कि केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जन की भागीदारी बढ़े तथा सभी सुविधाओं और लाभों का वितरण ग्रामीण स्तर पर हर व्यक्ति तक पहुंचे द्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त हो इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि योजनाओं का क्रियान्वन करने के लिए एक ठोस व्यवस्था और जागरूकता की पहल होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की।

बीज शब्द– लोकतंत्र, पंचायतीराज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता, भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व इत्यादि।

Introduction

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018–19 से वर्ष 2020–21 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। जिसे पुनः 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है । राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर हर व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है, साथ ही लैंगिक असमानता को खत्म करना है। इसका नारा ही है " सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास"। यह योजना पंचायत को सशक्त बनाकर तथा सब की जन भागीदारी को बढ़ाकर केंद्र व राज्य की सभी योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि पंचायत एवं ग्राम सभा की कार्य क्षमता में वृद्धि करके आम जन की भागीदारी को बढ़ाना । पंचायत को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व को निभाने के लिए समर्थ बनाना। जिससे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जा सके।

ग्राम स्वराज दरअसल में महात्मा गांधी के "ग्राम गणराज्य" की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ की गई है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक "हिंद स्वराज'' में लिखा है, कि भारत गांव में बसता है। आज भी 65: आबादी गांव में रहती है। बिना ग्रामीण जन को सशक्ति एवं समृद्ध किए सशक्त एवं समृद्ध भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाएं मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रथम पायदान है पंचायती राज संस्थाएं। केंद्र से लेकर ग्राम तक सत्ता ,प्राधिकार, वित्त एवं जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण इसलिए किया गया है जिससे हर व्यक्ति निर्णय लेने तथा

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

निर्णय का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। विशेष कर महिलाओं को सशक्ति एवं जागरूक बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। जबकि विडंबना यह है कि न केवल भारत बल्कि दुनिया के विकसित देशों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सत्ता संस्थानों एवं प्रशासन में बहुत ही कम है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11–13 : के बीच ही रहा है। विधानसभाओं (राज्यों) में भी कमोबेश यही स्थिति है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 45 – 50% तक है। शासन में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल रही है, जैसे–

1– नौकरशाह अक्सर एक तरफा बिना जनप्रतिनिधियों के परामर्श से निर्णय ले लेते हैं। जिससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। इसका विशेष कर प्रभाव महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ा है।

2– महिला जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक निर्णय लेने के अवसर पुरुष प्रधान पतियों के वर्चस्व के कारण सीमित होते गए हैं। निर्वाचित महिला नेताओं के पतियों के द्वारा राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप महिला स्वायत्तता व स्वराज कमजोर होता चला गया और पितृ सत्ता पुनः मजबूत होती गई है।

3 – यह देखने में आ रहा है, कि महिला जनप्रतिनिधियों को पुरुष समकक्षों की तुलना में सीमित वित्तीय सहायता और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को कम संसाधन दिया जा सकता है जिससे उनका चुनाव लड़ना तथा मान्यता प्राप्त करना कठिन बन जाएगा। सीमित संसाधनों के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अधिकांश महिलाएं दोबारा भागीदार बनने से वंचित रह जाती हैं।

4– महिला जनप्रतिनिधियों को धमकियां, उत्पीड़न और हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने से डरती हैं।

5 – महिलाओं के प्रति पुरुषों की रूढ़िवादी मानसिकता, महिलाओं को पुरुषों से हीन समझने की प्रवृत्ति ही महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार करने को प्रेरित करता है। महिलाओं को अपने आत्मरक्षा के साथ–साथ अपने आप में सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ता है। जबकि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को आत्म सम्मान व गरिमा के साथ जीवन जीने के हक तथा अधिकार की गारंटी प्रदान किया है। इसके बावजूद भी महिलाओं को अभी भी उनका अपना वाजिब हक तथा अधिकार नहीं मिल सका है।

ग्राम स्वराज योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं

1– ग्रामीण महिलाओं,आदिवासी,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षित किए जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

2– ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी जिसकी वजह से महिलाएं वास्तव में सशक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने में हिचकिचाएंगी नहीं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

3– महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में लोकतांत्रिक और जन प्रतिनिधित्व संस्थानों में भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए।

4– महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन का अनुपालन बाध्यकारी रूप से किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय महिला आयोग को सक्रिय रूप से विशाखा गाइडलाइन को अवश्य पालन कराना चाहिए।

5– रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच को बदलना जरूरी है। संविधान में दिए गए गरिमा और समता के अधिकार को समान रूप से हर किसी के ऊपर लागू होना चाहिए और हर कोई इसका पालन भी करे।

उपरोक्त चुनौतियों और बाधाओं के कारण महिला सशक्तिकरण अभी भी एक दूर की कौड़ी बना हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि कई विकसित देशों में भी महिलाओं के प्रति पुरुषवादी मानसिकता ही महिलाओं के प्रगति में रोड़ा बना हुआ है। उदाहरण स्वरूप हम या देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे महा शक्तिशाली और विकसित देश में आज तक अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रपति के पद पर एक भी महिला निर्वाचित नहीं हो सकी है। भारत सहित कुछ विकसित देशों में यदि महिलाओं ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व पर विराजमान होने में सफलता प्राप्त कर सकी हैं, तो इसका कारण यह है, कि ये सभी महिलाएं उच्च वर्गीय महिलाएं रही हैं। जिन्हें उच्च वर्गीय पुरुषों द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त रहा। जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण ,अनपढ़ , पिछड़ी ,दलित, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाएं अभी भी राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में तथा राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के अवसरों से वंचित ही हैं।

इसलिए यदि महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाना है और पुरुषों के समान ही सभी प्रकार के अवसर, सम्मान,व हक महिलाओं को प्राप्त हो सके, इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पुरुषवादी वर्चस्व और मानसिकता का परित्याग किया जाए और महिलाओं को एक समान परिस्थितिया, अवसर ,सम्मान तथा अधिकार प्राप्त हो। जिससे वह न केवल अपने आत्म विकास को अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार कर सकें ,बल्कि अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सभी प्रकार के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। तभी आधी दुनिया कहीं जाने वाली महिलाओं की तरक्की हो सकती है और वह भी पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती हैं।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है, कि महिला सशक्तिकरण के लिए केवल कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था कर देने से ही महिलाएं सशक्त नहीं हो जाएंगी। इसके लिए पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी व्यापक प्रयास होने चाहिए। सर्वप्रथम इसके लिए पारिवारिक स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। जब हर परिवार और हर परिवार के लोग अपनी बेटियों, अपनी बहनों और पत्नियों को पढ़ने लिखने की आजादी देंगे। सभी प्रकार के निर्णय लेने के अवसर प्रदान करेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे ,उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका पूरा सहयोग करेंगे, और कानून तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं इस प्रयास को बाध्यकारी संरक्षण प्रदान करेंगे तब जाकर के वास्तव में महिलाएं सशक्त हो सकेंगी।

इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की जिंदगी को बदलने के रूप में देखने को मिल सकता है । जब ग्रामीण स्तर पर महिलाएं आत्मनिर्भर होगी , पढ़ी लिखी होगी, सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करेंगी और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगी तब जाकर के ग्राम स्वराज का सपना और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1& Gupta] D-N- ¼2004½ Decentralisation Need for Reforms Concept] Publishing Company] New Delhi-
2& Singh] S-K- ¼1992½ Role of Panchayati Raj in India] Radha Publication] New Delhi-
3& Pattanayak] Raimann ¼1994½ Local Government Administration Reform] Anmol Publication Pvt-Ltd-] New Delhi-
4& Rai] Pragya ¼2006½ Political Representatio and Empowerment Women in Local Government Institute in Bihar India] Journal of Human Development 7 ¼2½:221&41 18
5& Jane and Ganiger] Ashwin B- Sunitha V- Strategi for Strengthering Women*s Position & Political Participation in local Self Government an EÛploratory Study] Golden Research Thoughts] ISSN 2232&5063] volume 2] ISSUE 11 may 2013-
6& Manna & Rajbansi] Sidhartha Sankar Gita Women Participation Through local Self Government- A comparative Study between Pandva & Bairgachi Gram&Panchyat District of Maldo West Bengal] Research Review] ISSN: Volume&03] ISSUE&01 January 2018-
7& Chauhan] Dr- Women Participation in local Self Government Organations – A Sociological Study and Persepection] EPRA International Journal of Economic and Business Review] E&ISSN: 2347& 9671@P-ISSn: 2349&0187 Volume& 5] ISSUE 8August 2017-
8& Rai Pragya] Political Representation and Empowerment women in Local Government Institutions in Bihar] India Stockholm University 2014-
9& Sai A- Akshitha] A Study on Women Participation in Local Government] International Journel
10– महिपाल(2004) पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट
11– बिस्वाल तपन (2017) भारतीय शासन संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लि0, हैदराबाद
12– यादव, सुषमा एवं गौतम बलवान (2015) लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लि0, हैदराबाद
13 – सिंह, अभय प्रसाद एवं मुरारी, कृष्ण (2018) भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लि0, हैदराबाद